संचालनालय पशुपालन, मध्यप्रदेश,भोपाल

अल्पकालीन निविदा सूचना

संचालनालय पशुपालन,मध्यप्रदेश द्वारा 1962 चलित पशु कल्याण सेवा हेतु प्रदेश के समस्त 313 विकासखण्ड़ों में संचालन के लिए e-procurement प्रणालीwww.mpeproc.gov.in पर ऑनलाईन दरें आमंत्रित की जाती है।

स.क्र.	निविदा का विषय	निविदा जारी करने का दिनांक	निविदा राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र क्रय करने का अंतिम दिनांक
136 / 2018	पशुपालन विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा 1962 चलित पशु कल्याण सेवा का प्रदेश के समस्त 313 विकासखण्ड़ों में पशु चिकित्सा इकाई के संचालन हेतु 1 वाहन (वाहन चालक एवं सहायक सहित) तथा 1 वाहन (वाहन चालक सहित) हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। दरें जिलेवार आमंत्रित की जाती है।	22.08. 2018	रू. 1000+295 प्रोसेसिंग फीस (नेट बैंकिंग, डेबिट या केडिट कार्ड द्वारा)	रूपये 5000 / – (प्रत्येक विकास खण्ड के मान से) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर जिसकी वैद्यता निविदा जारी होने के दिनांक से 02 वर्ष होना अनविार्य है। को–ऑपरेटिव बैंक की एफ.डी.आर मान्य नहीं होगी।	28.08. 2018दोपहर12:00 बजेदोपहर तक

1. निविदा प्रपत्र ऊपर वर्णित बेबसाईट पर ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।

2. विस्तृत विवरण एनआईटी एवं अन्य जानकारी उपर वर्णित बेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है।

3. निविदा की अनुमानित लागत 25.00 करोड़ वार्षिक।

4.निविदा शर्तों एवं तिथियों में संशोधन www.mpeproc.gov.in एवं विभागीय बेबसाईट www.mpdah.gov.in पर पर प्रदर्शित किए जाएगी।

संचालक
पशुपालन
मध्यप्रदेश,भोपाल

Sample Document

निविदा के निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाऐं

निविदाकार , संचालनालय पशुपालन, मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित 1962 चलित पशु कल्याण सेवा के सर्विस लेवल एग्रीमेंट की शर्ते (अवधारणा पत्र), निविदा सूचना तथा निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति पढ़ने एवं समझने के बाद ही निविदा फार्म भरें । उपरोक्त सभी अभिलेख तथा निम्नलिखित सूचनाऍं निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध के भाग माने जाऐंगे ।

1. निविदा भरने के पूर्व निविदाकार स्वतः नियमानुसार सुनिश्चित कर लें:–

1.1 निविदा ऑन लाईन दो लिफाफों. लिफाफा ए (EnvelopeA) एवं लिफाफा सी(Envelope C)में भरनी होगी। लिफाफा ए में ईएमडी एवं अन्य दस्तावेंज, लिफाफा सी में फायनेंनशियल बिड ऑनलाईन भरनी होगी। निविदा संचालक, पशुपालन द्वारा गठित समिति के समक्ष ऑनलाईन खोली जाएगी।

1.2 ऑनलाईन में यदि फर्म तकनीकी विड में सफल पाई जाती है, तभी उसकी वित्तीय विड (Financial Bid) खोली जाएगी ।

1.3 वित्तीय विड (Financial Bid) पर किसी तरह की कांट–छॅाट अथवा ओवरराइटिंग नहीं होना चाहिए अन्यथा निविदा को निरस्त माना जाएगा ।

1.4 सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

1.5 किसी भी निविदाकार की निविदा को बिना कारण बताए अमान्य करने का अधिकार संचालक, पशुपालन मध्यप्रदेश को होगा।

1.6 संचालक, पशुपालन को यह अधिकार भी होगा कि वे विशेष परिस्थितियों में निविदा की शर्तो/नियमों/प्रावधानों/अनुबंध पत्र की शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन कर सकेंगे ।

1.7 असफल निविदाकरों की धरोहर राशि की एफ.डी.आर. निविदा खुलने के एक माह पश्चात् से वापस किया जाना प्रारंभ किया जावेगा।

1.8 निविदाकार एक से अधिक जिलों हेतु भी दरें प्रस्तुत कर सकते है। ईएमडी (घरोहर राशि) पृथक–पृथक जिलों हेतु पृथक–पृथक प्रस्तुत करनी होगी।

2. निविदा फार्म कैसे भरें

2.1 निविदाकार द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज पठनीय होने चाहिए। यदि दस्तावेज पठनीय नहीं होगें तो निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.2 वित्तीय विड विवरण लिफाफा सी (Envelop C) में दरे अंकों एवं शब्दों में भरी जानी चाहिए।यदि अंको एवं शब्दों में भिन्नता पाई जाती है तो अंको में लिखी गई राशि मान्य होगी।

2.3 निविदाकार अपेक्षित संपूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से दें तथा प्रत्येक खाना भरें। जहॉ पर वांछित हो संबंधित दस्तावेज अपलोड करें ।

Sample Document

3. धरोहर राशि

3.1 जिन जिलों के लिए निविदा भरी जा रही है उन जिलों के प्रत्येक विकास खण्ड के लिए रू. 5,000/-(रू. पॉचहजार) के मान से गणना करते हुए कुल राशि की पृथक-पृथक जिले हेतु पृथक-पृथक एफ.डी.आर संचालक, पशुपालन विभाग मध्यप्रदेश के नाम से प्रस्तुत की जाए।

3.2 यदि निविदाकार अपना निविदा फार्म प्रस्तुत करने के बाद सेवाएं देने से मुकर जाता है या अपना ऑफर वापस लेता है अथवा अपने ऑफर में कोई संशोधन करता है तो धरोहर राशि बिना किसी अन्य आदेश के स्वयं ही जप्त (Forfiet) हो जाएगी। ऐसी जप्ती की सूचना निविदाकार को पृथक से देना संचालनालय पशुपालन के लिए आवश्यक नहीं होगा।

3.3 निविदा स्वीकृति के आदेश विभागीय बेबसाईट(Website) www.mpdah.gov.inपर जारी किए जाऍगे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से निविदाकार को भेजे जाऍगे। निविदाकार को, Websiteपर जानकारी आने/जारी पत्र के दिनांक से 07 दिवस की अवधि के अन्दर संबंधित जिले के उपसंचालक से संचालनालय पशुपालन द्वारा निर्धारित शर्तों अनुसार अनुबंध करना होगा एवं रू. 50,000/- (रू पचास हजार मात्र) की प्रति विकास खण्ड के मान से एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी जमा करना आवश्यक होगा। अनुबंध करने में असफल होने की स्थिति में रू. 5,000/-(रू.पॉच हजार मात्र) की धरोहर राशि जप्त कर ली जाएगी। ऐसी जप्ती की सूचना निविदाकार को पृथक से देना संचालनालय पशुपालन के लिए आवश्यक नहीं होगा।

3.4 निविदाकार को अनुबंध करने की तिथि से चलित पशु चिकित्सा इकाई का संचालन करना होगा । अपरिहार्य परिस्थितियों में संचालक द्वारा उक्त अवधि को बढाया जा सकताहै।

3.5 धरोहर राशि उपरोक्त कंडिका 3.2 तथा 3.3 को छोड़कर यथा संभव समस्त असफल निविदाकारों की निविदाओं पर विचार होने के बाद एक माह के पश्चात से वापस करना प्रारंभ की जाएगी। सफल निविदाकार की उक्त राशि का समायोजन सावधि जमा (एफ.डी.आर) में किया जाएगा।

4. सावधि जमा (एफ.डी.आर.)/बैंक गारण्टी

चयन होने की दशा में निविदाकार (द्वितीय पक्षकार) को इस सेवा के संचालन के संबंध में धरोहर के रूप में प्रथम पक्षकार के नाम से रू. 50,000/- (रू पचास हजार मात्र) की एफ.डी.आर. (को-आपरेटिव बैंक को छोडकर)/बैंक गारण्टी के रूप में प्रति विकास खण्ड के मान से प्रस्तुत करना होगा। यह एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी जितने समय के लिए अनुबंध किया जा रहा है के लिए वैध होना चाहिए।

5. वार्षिक सेवादर

निविदाकार निविदा फार्म के लिफाफा सी (Envelop C) में प्रतिस्पर्धात्मक वार्षिक सेवादर भरेंगे। निविदा अंतर्गत दो प्रकार की इकाईयों (एक इकाई वाहन,वाहन चालक एवं सहायक सहित तथा द्वितीय इकाई वाहन, वाहन चालक सहित)का संचालन किया जाएगा। निविदाकार दोनों प्रकार

Sample Document

की इकईयों अथवा किसी भी एक प्रकार की इकाई हेतु दरें प्रस्तुत कर सकता है किन्तु सम्पूर्ण जिले के लिए दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।निविदाकार को जिले के समस्त विकासखण्डों में ईकाई का संचालन करना अनिवार्य होगा। **उक्त हेतु निविदाकार को वित्तीय शीट(Financial Sheet) पर प्रति विकासखण्ड की वार्षिक दर भरना होगी।उस जिले के समस्त विकासखण्डों की संख्या से उसका गुणा कर जिले की दर की गणना की जाएगी। दरें समस्त करों सहित प्रस्तुत की जाना अनिवार्य है। पृथक से किसी भी तरह के करो का भुगतान विभाग द्वारा नही किया जाएगा।**

6.सेवा उपलब्ध कराने का तरीका

प्रदेश के 313 विकासखण्डों में निजी एजेंसी के माध्यम से अनुबंधित चलित पशु चिकित्सा इकाई का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक विकासखण्ड में **चलित पशु चिकित्सा इकाई के संचालन हेतु अनुबंधित संस्था/संस्थाओं द्वारा एक वाहन(वाहन चालक एवं विभागीय प्रशिक्षित गौसेवक सहित) तथा एक वाहन (वाहन चालक सहित)की व्यवस्था की जाएगी। निविदाकार द्वारा दोनों प्रकार की इकाई हेतु अथवा किसी भी एक प्रकार की इकाई हेतु दरें भरी जा सकती है।**

7. निविदा अवधि

अनुबंध की दिनांक से आगामी 02 वर्षों तक (संचालक, पशुपालन द्वारा बिना कारण बताये अवधि को कम किया जा सकता है) तथा कार्य संतोषजनक होने पर संचालक पशुपालन निविदा अवधि में अधिकतम 01 वर्ष की वृद्धि कर सकते है।

8. दर निर्धारण

प्रत्येक विकासखण्ड में चलित पशु चिकित्सा इकाई के संचालन हेतु 2 प्रकार की इकाईयों हेतु दरें प्रस्तत की जानी है। प्रथम प्रकार की चलित पशु चिकित्सा इकाई में वाहन (वाहन चालक एवं विभागीय प्रशिक्षित गौसेवक सहित) तथा द्वितीय प्रकार की चलित पशु चिकित्सा इकाई में मात्र वाहन (वाहन चालक सहित) हेतु दरें प्रस्तुत की जानी है।

प्रथम प्रकार की इकाई हेतु निविदाकार को वाहन (वाहन चालक सहित), एक पैरावेट (विभागीय प्रशिक्षित गौसेवक)तथा प्रतिमाह 1800 किमी की दूरी तय करने हेतु डीजल व्यय को सम्मिलित करते हुए तथा द्वितीय प्रकार की इकाई हेतु एक वाहन (वाहन चालक सहित) तथा प्रतिमाह 1800 किमी की दूरी तय करने हेतु डीजल व्यय को सम्मिलित करते हुए दर प्रस्तुत करनी होगी।

प्रतिमाह 1800 किमी से अधिक दूरी तय करने पर प्रतिकिमी राशि रु. 06.00 के मान से पृथक से भुगतान किया जाएगा। वाहन 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। शासन की अपेक्षा के अनुरुप वाहन की साज सज्जा, उपकरणों की व्यवस्था एवं वाहन के बाहर जानकारी का प्रदर्शन अनुबधित संस्था के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक चलित पशु चिकित्सा इकाई हेतु एजेंसी का चयन निविदा के आधार पर किया जाएगा। घर पहुँच पशु उपचार सुविधा विभागीय पशु चिकित्सकों एवं

Sample Document

सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही पशु उपचार हेतु आवश्यक पशु औषधि भी विभाग द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी।

- **निविदाकार के पास आयकर पेन न. (PAN)होना अनिवार्य है।**
- **अनुबंधित संस्था को इकाई संचालन प्रारंभ होने की तिथि से 1 माह के अन्दर समस्त वाहनों में विभाग द्वारा दिए गए स्पेसिफिकेशन अनुसार जीपीएस स्थापित करना अनिवार्य है।**
- **वाहन की सेवाऐं आवश्यकता पड़ने पर रात्रि में भी ली जा सकती है। अतः वाहन संस्था मुख्यालय में रखा जाएगा तथा वाहन चालक को रात्रि में भी ऑन कॉल उपलब्ध रहना होगा।**
- **वाहन का प्रकार – टाटा सूमो/बुलेरो/इनोवा/समतुल्य एस यू व्ही वाहन। वाहन 6+1 बैठक क्षमता का होना अनिवार्य है।**
- **एक से अधिक निविदाकारों द्वारा समान दरें प्रस्तुत करने पर लाटरी पद्धति द्वारा चयन किया जाएगा।**
- **किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, पशुपालन मध्यप्रदेश का निर्णय अंतिम एंव बंधनकारी होगा।**
- **समस्त विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र भोपाल होगा।**

9. निविदा फार्म के साथ अनिवार्य संलग्न किए जाने वाले अभिलेख / सहपत्र (लिफाफा क्रमांक 1 के साथ संलग्न किये जायें)

1- Abstract Information Regarding Tenderer (Original)
2- Earnest Money Deposit (Original)
3- Declaration (Original)

उपरोक्त सभी दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करें एवं कंडिका 9 में उल्लेखित **अभिलेख / सहपत्र**एक फाईल में इन्डेक्स एवं पेज नम्बर के साथ दिनांक 28**.08.2018** तक संचालनालयपशुपालन में प्रस्तुत करें ।निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय माना जायेगा कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्ते, नियम तथा सेवाओं का विवरण भलीभांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है। अतः निविदाकारों से अनुरोध है कि वे समस्त जानकारी समझकर पूर्ण संतुष्टि पश्चात् ही प्रतिस्पर्धात्मक सेवा दरें भरें।

निविदा प्रपत्र अथवा निविदा शर्तों में किसी भी प्रकार का संशोधन विभागीय बेबसाईट www.mpdah.gov.in एवं mpeproc.gov.in पर अपलोड किए जाएगें तथा उक्त हेतु पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

संचालक
पशुपालन मध्यप्रदेश

Sample Document

सर्विस लेवल एग्रीमेंट की शर्तें। (अवधारणा पत्र)

1962 चलित पशु कल्याण सेवा संचालन हेतु आवश्यक अर्हता एवं प्रदाय की जाने वाली सेवाओ का विवरण

सेवा उपलब्ध कराने का तरीका

प्रदेश के 313 विकासखण्डों में निजी एजेंसी के माध्यम से अनुबंधित चलित पशु चिकित्सा इकाई का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक विकासखण्ड में **<u>चलित पशु चिकित्सा इकाई के संचालन हेतु अनुबंधित संस्था/संस्थाओं द्वारा एक वाहन (वाहन चालक एवं विभागीय प्रशिक्षित गौसेवक सहित) तथा एक वाहन (वाहन चालक सहित) की व्यवस्था की जाएगी। निविदाकार द्वारा दोनों प्रकार की इकाई हेतु अथवा किसी भी एक प्रकार की इकाई हेतु दरें भरी जा सकती है।</u>**

प्रत्येक विकासखण्ड में चलित पशु चिकित्सा इकाई के संचालन हेतु 2 प्रकार की इकाईयों हेतु दरें प्रस्तत की जानी है। प्रथम प्रकार की चलित पशु चिकित्सा इकाई में वाहन (वाहन चालक एवं विभागीय प्रशिक्षित गौसेवक सहित) तथा द्वितीय प्रकार की चलित पशु चिकित्सा इकाई में मात्र वाहन (वाहन चालक सहित) हेतु दरें प्रस्तुत की जानी है।

प्रथम प्रकार की इकाई हेतु निविदाकार को वाहन (वाहन चालक सहित), एक पैरावेट (विभागीय प्रशिक्षित गौसेवक)तथा प्रतिमाह 1800 किमी की दूरी तय करने हेतु डीजल व्यय को सम्मिलित करते हुए तथा द्वितीय प्रकार की इकाई हेतु एक वाहन (वाहन चालक सहित) तथा प्रतिमाह 1800 किमी की दूरी तय करने हेतु डीजल व्यय को सम्मिलित करते हुए दर प्रस्तुत करनी है।

प्रतिमाह 1800 किमी से अधिक दूरी तय करने पर प्रतिकिमी राशि रु. 06.00 के मान से पृथक से भुगतान किया जाएगा। वाहन 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। शासन की अपेक्षा के अनुरुप वाहन की साज सज्जा, उपकरणों की व्यवस्था एवं वाहन के बाहर जानकारी का प्रदर्शन अनुबधित संस्था के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक चलित पशु चिकित्सा इकाई हेतु एजेंसी का चयन निविदा के आधार पर किया जाएगा। घर पहुँच पशु उपचार सुविधा विभागीय पशु चिकित्सकों एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही पशु उपचार हेतु आवश्यक पशु औषधि भी विभाग द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी।

निविदाकार के पास आयकर पेन न. (PAN)होना अनिवार्य है।

संस्था द्वारा चलित पशु कल्याण सेवा योजना अंतर्गतसम्पूर्ण माह में (30/31दिन) सेवायें प्रदान करना होगा। माह में जिस दिन भी वाहन या सहायक उपलब्ध नहीं रहेगा अथवा किसी भी अन्य कारण से संस्था द्वारा वाहन का संचालन नही किया जाएगा तो उस दिन का सेवा शुल्क रू. 2500/— का कटोत्रा मासिक भुगतान से किया जावेगा।

Sample Document

संस्था द्वाराप्रति माहकी 3 तारीख तक वाहन लांगबुक संबंधित वाहन प्रभारी (शासकीय अधिकारी/कर्मचारी) से सत्यापित करवा कर उपसंचालक को प्रस्तुत करना होगा। जिस आधार पर माह का भुगतान किया जावेगा। संस्था द्वारा प्रस्तुत वार्षिक ऑफर में वर्णित वार्षिक राशि का 1/12 भाग प्रति माह में देय होगा।

संस्था वाहन चालक एवं पेरावेटके साथ ऐसा अनुबंध सुनिश्चित करें कि वे कम से कम दो माह का नोटिस देकर अपनी सेवायें समाप्त कर सके ताकि समयावधि में नए वाहन चालक एवं पेरावेट का चयन कर सके।वाहन चालक एवं पेरावेट द्वारा अपनी सेवायें समाप्त करने के फलस्वरूप यदि इकाई के संचालन में व्यवधान होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी एवं संस्था से नियमानुसार शुल्क की कटौती की जाएगी।

अभिलेख

संस्था द्वाराप्रति माहवाहन लांगबुक संबंधित वाहन प्रभारी (शासकीय अधिकारी/कर्मचारी) से सत्यापित करवा कर उपसंचालक को प्रस्तुत करना होगा। वाहन प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अभिलेखों का संधारण करेगा।

मानीटरिंग

मॉनिटरिंग जिला उप संचालक, संभागीय सॅयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं एवं विभागीय कॉल सेन्टर के माध्यम से किए गए कार्यों की मॉनीटरिंग की जाएगी।

संचालक
पशुपालनमध्यप्रदेश

Sample Document

DECLARATION

A list showing the name of the persons who are working with the tenderer and are relatives of any Gazetted officer of Animal Husbandry Department M.P.

Sr. No	Name of persons working with tenderer	Name of the employee working in A.H. Deptt	Nature of relation	Remark

Sample Document

Signature of Tenderer
With seal & Date

Abstract Information Regarding Tenderer

1 फर्म/संस्था/व्यक्ति का नाम ....

....

2. पत्राचार का पता ....

....

3. स्थाई पता..

....

4 दूरभाष कमांक .... ई—मेल..

5. निविदाकर्ता के संबंध में आवश्यक अभिलेख ....

S.No.	Documents	Yes/No	PageNo ....to......
1	Abstract Information Regarding Tenderer (Original)		
2	Earnest Money Deposit (Original)		
3	Declaration (Original)		

<u>निविदाकर्ता का नाम, हस्ताक्षर एवं सील</u>

अभिवचन

मेरे/हमारे द्वारा निविदा की सभी शर्तो/नियम का अध्ययन कर लिया गया है एवं मैं इनसे सहमत हूँ। 2. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा निविदा में दी गई समस्त जानकारी सही है।

निविदाकर्ता का नाम, हस्ताक्षर एवं सील

Sample Document

निविदाकार द्वारा निविदा हेतु चयनित जिलों की सूची अनिवार्यतः दर्ज करें।

स.क्र	जिले का नाम
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	

Sample Document

स.क्र	जिले का नाम
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	

टीप :— निविदाकार जितने जिलों में चलित इकाई संचालित करने हेतु दरें प्रस्तुत कर रहे है मात्र उन्हीं जिलों के नाम उपर दी गई तालिका में अंकित करें।

Sample Document

संचालनालय पशुपालन, मध्यप्रदेश,भोपाल								
NIT 136/2018								
निविदाकार का नाम एवं पता								
क्रमांक	जिला का नाम	विकास खण्ड की सॅख्या	वाहन (वाहन चालक एवं विभागीय प्रशिक्षित गौसेवक सहित)			वाहन (वाहन चालक सहित)		
			राशि रू. अंकों में सभी कर सहित प्रति विकासखण्ड प्रति वर्ष	राशि शब्दों में सभी कर सहित	सम्पूर्ण जिले हेतु कुल राशि	राशि रू. अंकों में सभी कर सहित प्रति विकासखण्ड प्रति वर्ष	राशि शब्दों में सभी कर सहित	सम्पूर्ण जिले हेतु कुल राशि
1	ग्वालियर	4			0			0
2	गुना	5			0			0
3	दतिया	3			0			0
4	शिवपुरी	8			0			0
5	मुरैना	7			0			0
6	भिण्ड	6			0			0
7	श्योपुर कलॉ	3			0			0
8	अशोकनगर	4			0			0
9	उज्जैन	6			0			0
10	देवास	6			0			0
11	शाजापुर	4			0			0
12	रतलाम	6			0			0
13	मंदसौर	5			0			0
14	नीमच	3			0			0
15	आगर	4			0			0
16	इन्दौर	4			0			0
17	धार	13			0			0
18	झाबुआ	6			0			
19	खण्डवा	7			0			0
20	खरगौन	9			0			0
21	बडवानी	7			0			0
22	बुरहानपुर	2			0			0

23	अलिराजपुर	6			0			0
24	भोपाल	2			0			0
25	सीहोर	5			0			0
26	राजगढ़	6			0			0
27	विदिशा	7			0			0
28	बैतूल	10			0			0
29	होशंगाबाद	7			0			0
30	रायसेन	7			0			0
31	हरदा	3			0			0
32	सागर	11			0			0
33	दमोह	7			0			0
34	पन्ना	5			0			0
35	छतरपुर	8			0			0
36	टीकमगढ़	6			0			0
37	जबलपुर	7			0			0
38	नरसिंहपुर	6			0			0
39	मण्डला	9			0			0
40	बालाघाट	10			0			0
41	सिवनी	8			0			0
42	छिंदवाडा	11			0			0
43	कटनी	6			0			0
44	रीवा	9			0			0
45	डिण्डोरी	7			0			0
46	सतना	8			0			0
47	सीधी	5			0			0
48	शहडोल	5			0			0
49	उमरिया	3			0			0
50	अनूपपुर	4			0			0
51	सिंगरौली	3			0			0

संचालक
पशुपालन
मध्यप्रदेश,भोपाल